**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या -926**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर**

**फास्ट फूड के कुप्रभावों के संबंध में जागरुकता कार्यक्रम**

926. **श्री किरनमय नन्दा**

**श्री प्रमोद तिवारी:**

**श्री पि भट्टाचार्य:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में फास्ट फूड से विशेष तौर पर युवाओं और छोटे बच्चों पर पड़ने वाले कुप्रभावों की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जागरुकता कार्यक्रम अथवा अभियान प्रारंभ किया है या प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)

1. **: सरकार जंक फूड के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में मीडिया में आने वाली रिपोर्टों से अवगत है और इसके अलावा, किशोरों एवं युवाओं के स्वास्थ्य पर कार्बोनेटेड पेय (सीडब्ल्यूबी) के सेवन के दुष्प्रभावों के संबंध में राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, हैदराबाद द्वारा पाए गए निष्कर्षों से भी अवगत है जो दर्शाता है कि युवा उपभोक्ताओं के शरीर में वसा की अधिकता हो रही है।**
2. **उपभोक्ता मामला विभाग तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उपभोक्ताओं को शिक्षित/खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूक बनाने के लिए, संयुक्त रूप से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें विभिन्न मीडिया में विज्ञापन, सोशल मीडिया पर फेसबुक, यू-ट्यूब जैसे वृत्तचित्रों, शैक्षिक पुस्तकों, एफएसएसएआई की वेबसाइट पर सूचना देकर, प्रदर्शनियों/मेलों/कार्यक्रमों में स्टॉल लगाकर, जन जागरुकता अभियान के माध्यम से एफएसएसएआई द्वारा चलाए जा रहे अभियान शामिल हैं।**
3. **भारत में स्कूल के बच्चों को संपूर्ण, पौष्टिक, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए, केंद्रीय परामर्श समिति, एफएसएसएआई द्वारा दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।**

**\*\*\*\*\***